B- 324
L- 08
I. Polity

सरकारी सेवाओं में समानता का अधिकार

- राज्य के अन्तर्गत नियुक्ति एवं रोजगार में सभी नागरिक को अवसर की समानता प्रदान की जाएगी [अनुच्छेद 16(1)]

- किसी भी नागरिक के साथ राज्य के अन्तर्गत नियुक्ति और रोजगार में केवल धर्म, मूलवंश लिंग, जाति, जन्म स्थान, वंश, व निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।

संविधान में क्षेत्रवाद :-

- संविधान के अनुच्छेद 16 के खण्ड 3 में अवसर की समानता का अपवाद है और यह माना गया है कि राज्य के अन्तर्गत सेवाओं में निवास के आधार पर वरीयता दी जा सकती है।

- यह वरीयता किसी भी प्रांत अथवा केन्द्र शासित क्षेत्र के किसी भी वर्ग की सेवाओं के लिए दिया जा सकता है।

- लेकिन इस संबंध में विधि के निर्माण का अधिकार राज्य विधानसभा के बजाय संसद को दिया गया है। [अनुच्छेद 16 खण्ड (3)]

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

• हाल ही में कई राज्यों के द्वारा निजी क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने के लिए नीतियों का निर्माण किया गया जिस पर न्यायालय ने तर्क दिया कि कुछ श्रेणी के रोजगार के लिए स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जा सकती है बशर्ते यह तार्किक हो।

सेवाओं में आरक्षण :-

आरक्षण

- (i) सामाजिक न्याय
  (ii) आनुपातिक समानता
  (iii) वंचित वर्गों का सशक्तिकरण
  (iv) निर्णय निर्माण मे सहभागिता
- लोकसभा
  अनुच्छेद-330
  अनुसूचित जाति
  अनुसूचित जनजाति
  अनुच्छेद 330(A)
- विधानसभा
  → अनुच्छेद-332
  अनुच्छेद-330(B)
- अनुच्छेद
  → 334
  → आरक्षण 10 वर्ष की सीमा तक होगा लेकिन यह हर 10 वर्ष के बाद आगे बढ़ता रहा।
  (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए)

→ अनुच्छेद-341
(i) राष्ट्रपति
अनुसूचित जाति
अनुच्छेद-342
जनजाति के लिए सूची का निर्माण करेगा।

• अनु० 16 के खण्ड 4 में यह उल्लेखित है कि नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों को राज्य के अन्तर्गत नियुक्ति एवं रोजगार में आरक्षण प्रदान किया जायेगा बशर्ते राज्य की दृष्टि में इनका सेवाओं मे प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है।

संघ सरकार का वर्गीकरण (आरक्षण की अधिकतम सीमा)

वर्ग	आरक्षण
SC/ST	22.5 %
OBC	27 %
EWS	10 %
	59.5 %

• तमिलनाडु और झारखण्ड जैसे राज्यों ने आरक्षण की सीमा को क्रमशः 69% व 80% तक कर दिया है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा आरक्षण की व्याख्या

• उच्चतम न्यायालय के 9 न्यायाधीशों के बेंच द्वारा इंदिरा साहनी वाद में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कहा गया कि:-

(i) भारत में पिछड़ी जातियाँ ही पिछड़े वर्ग में शामिल हैं लेकिन न्यायालय ने यह भी माना कि पिछड़ी जातियों में यदि किसी व्यक्ति का आर्थिक उत्थान हो गया है अथवा वे किसी उच्च पद पर नियुक्त हैं तो उन्हें पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं किया जायेगा अपितु वे क्रीमीलेयर कहलायेंगे।

- लेकिन उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए क्रीमीलेयर के विचार को स्वीकार नहीं किया।

- उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण की सीमा निर्धारित करते हुए कहा कि यह 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।
क्योंकि आरक्षण की सीमा निर्धारित करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान देना आवश्यक है -

(i) आरक्षण प्रदान करते समय अवसर की समानता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

(ii) आरक्षण की मात्रा निर्धारित करते हुए अनुच्छेद 16 के खण्ड 4 को अनुच्छेद 335 के साथ पढ़ने की आवश्यकता है जिसमें यह उल्लेखित है कि राज्य के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करते समय सेवाओं की कुशलता को भी ध्यान में रखा जायेगा।

- इन्हीं आधारों पर न्यायालय ने कहा कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

• उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आरक्षण केवल शुरूआती नियुक्ति में प्रदान किया जायेगा प्रोन्नति में आरक्षण प्रदान करना असंवैधानिक है और यह अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को दिया गया था।

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR